क्रम-संख्या–112

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 21 जुलाई, 2025

आषाढ़ 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2

संख्या 11/81-2–2025-29(11)-2025
लखनऊ, 21 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प0आ0–117

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण कर लिया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित कर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	परगना/तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6
सोनभद्र	दुद्धी	कटौधी	56मि	6.5600	**उत्तर**–गाटा संख्या–15, 12 व गाटा संख्या 56 का शेष भाग। **पूरब**–गाटा संख्या–533, 537 व गाटा संख्या 56 का शेष भाग। **दक्षिण**–गाटा संख्या–56 का शेष भाग। **पश्चिम**–गाटा संख्या–56 का शेष भाग।

1	2	3	4	5	6
सोनभद्र	दुद्धी	बहेराडोल	447क मि	8.0003	**उत्तर**–गाटा संख्या–360, 359, 448, 355, 354, 281, 275 **पूरब**–गाटा संख्या–447 का शेष भाग। **दक्षिण**–गाटा संख्या–447 का शेष भाग। **पश्चिम**–गाटा संख्या–273, 275 व गाटा संख्या–447 का शेष भाग।
			योग	**14.5603**	

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

———————

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 11/LXXXI-2–2025-29(11)-2025, dated July 21, 2025 :

No. 11/LXXXI-2–2025-29(11)-2025
Dated Lucknow, July 21, 2025

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be 'protected forest' from the date of publication of this notification in the *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Pargana /Tehsil	Name of Village	Gata No.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6
Sonebhadra	Dudhi	Kataudhi	56 MI	6.5600	**North-**Khasra No. 15, 12 and rest area of Khasra No. 56. **East-**533, 537 and rest area of Khasra No. 56. **South-**Rest area of Khasra No. 56. **West-**Rest area of Khasra No. 56.

1	2	3	4	5	6
Sonebhadra	Dudhi	Baheradol	447 Ka MI	8.0003	**North-** Khasra No. 360, 359, 448, 355, 354, 281, 275. **East-** Rest area of Khasra No. 447. **South-** Rest area of Khasra No. 447. **West-** 273, 275 and Rest area of Khasra No. 447.
			Total	**14.5603**	

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 104 राजपत्र—2025—(294)—599+25=624 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

104 RPH 2025 (Paryavaran Anubhag-2) data 8e